



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21032022-234339
CG-MH-E-21032022-234339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1199]
No. 1199]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 17 मार्च, 2022

का.आ. 1240(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 12 जनवरी, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 151(अ) तारीख 9 जनवरी, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, इटारसी – नागपुर तीसरी रेलवे लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों, अर्थात् “संदेश आनंद” और “पब्लिक पार्लियामेंट” में तारीख 20 जनवरी, 2022 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम अधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में कोहली-कलमेश्वर सेक्शन के अंतर्गत 1 गांव का सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, सावनेर के अधीन विशेष रेल परियोजना इटारसी – नागपुर शेष तीसरी रेलवे मार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्र.	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भू धारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	2/A-65/ 2021-22	खापरी (कोटे)	कलमेश्वर	उषाबाई मारोती जोगी, कमला विनोद शेडामे, चंद्रकला रामाजी बोडे, दिवाकर रामकृष्ण बरडे, दुर्गा सत्यप्रकाश आर्य, निशा शिवराज वर्मा, पुष्पा नीलकंठ पाटील, पुजा अविनाश चौधरी, माया अविनाश चौधरी, मंगला मुनचंद हिंगाणे, रणधीन अविनाश चौधरी, रोशन अविनाश चौधरी, शकुंतला चिरकुट हिंगाणे, सुधाकर रामकृष्ण बरडे, सुमित्रबाई मारोतराव लोनगाडगे	87	1	1.30	0.013
						कुल	1.30	0.013

[फा. सं. AQ/ET-NGP/तीसरी लाइन/20E/मार्च/1 गाँव]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th March, 2022

S.O. 1240(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 151(E) dated the 9th January, 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 12th January, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Itarsi-Nagpur 3rd line in the district of Nagpur in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Sandesh Anand” and “Public Parliament ” Dated 20th January, 2022 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received by competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further , in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project Itarsi - Nagpur Balance 3rd line in 1 villages in Kohli-Kalmeshwar Section under Special Land acquisition Officer and Sub-Divisional Officer, Saoner, in the district Nagpur in the State of Maharashtra.

S.N.	LAC No.	Name of the Village	Taluka	Name of Landholder as per 7/12	Survey No.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R)	Acquisition area (H.R.)
1	2/A-65/2021-22	Khapri (Kothe)	Kalmeshwar	Ushabai Maroti Jogi, Kamala Vinod Shedam, Chandrakala Ramaji Bode, Diwakar Ramkrishna Barde, Durga Satyaprakash Arya, Nisha Shivraj Verma, Pushpa Neelkanth Patil, Pooja Avinash Chaudhary, Maya Avinash Chaudhary, Mangala Munchand Hingane, Randheen Avinash Chaudhary, Roshan Avinash Chaudhary, Shakuntala Chirkut Hingane, Sudhakar Ramkrishna Barde, Sumitrabai Marotrao Longadge	87	1	1.30	0.013
						Total	1.30	0.013

[F. No. AQ/ET-NGP/Third Line/20E/March/1 Village]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Cons.)